

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 14(3)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक : 01.11.2018

:- आदेश :-

श्री ओम प्रकाश गल्होत्रा, आई.पी.एस., महानिदेशक पुलिस, राजस्थान सरकार, जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि 31.10.2019 है, को उनके निवास-कार्यालय हेतु आरक्षित राजकीय आवास संख्या 22, रामसिंह रोड़, जयपुर रिक्त होने की प्रत्याशा में उनके पदधारण की तिथि से किराया मुक्त आवास के रूप में एतद्द्वारा पद पर बने रहने तक आवण्टित किया जाता है। निवासीय कार्यालय के भिन्न स्थान के बिजली/पानी के बिल का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह.
(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री ओम प्रकाश गल्होत्रा, आई.पी.एस., महानिदेशक पुलिस, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. मुख्य लेखाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/गौधीनगर, जयपुर।
15. उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. सहायक शासन सचिव/अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1, 3, 6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव